

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

याचिका संख्या 9192/2022 अरविन्द कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 में सक्षम प्राधिकारी को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी वर्तमान में राउमावि कासेडी ब्लॉक गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में अध्यापक लेवल-द्वितीय (विषय अंग्रेजी) के पद पर कार्यरत हैं जबकि उसकी पत्नी श्रीमती कविता वर्मा ब्लॉक पाटन जिला सीकर में व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं। याचिकार्थी के कथनानुसार याचिकार्थी के माता-पिता वयोवृद्ध हैं तथा याचिकार्थी के पिताजी विशेष बीमारी से ग्रसित हैं। उनको मेदान्ता हॉस्पिटल गुडगांव व जयपुर एस.एम.एस. हॉस्पिटल के डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है। याचिकार्थी के अलावा याचिकार्थी के पिताजी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पति-पत्नी प्रकरण (यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हों तो उनको एक ही जिले (स्टेशन) अथवा निकटतम स्थान पर पदस्थापन किया जावे) एवं पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर चित्तौड़गढ़ जिले से ब्लॉक कोटपुतली जिला जयपुर के रिक्त पद पर याचिकार्थी का स्थानान्तरण राउमावि नांगल पण्डितपुरा (213029) ब्लॉक कोटपुतली, राउमावि मलपुरा (213035) ब्लॉक कोटपुतली, राउमावि मोरदा (227422) ब्लॉक कोटपुतली, में स्थानान्तरण करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद जिला कैंडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थी द्वारा पति-पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर चित्तौड़गढ़ से जयपुर जिले में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्राशि/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश प्रभावी हैं, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के एक ही स्थान अथवा निकटतम स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति-पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसिलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं।

अतः याचिकार्थी द्वारा चित्तौड़गढ़ से जयपुर जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)

अर्चुन
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/अपील/जोध/12919/2022

दिनांक:- 23.12.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, चित्तौड़गढ़
3. उपविधि परामर्शी कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. याचिकार्थी अरविन्द कुमार अध्यापक लेवल-द्वितीय राउमावि कासेडी ब्लॉक गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

